उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग लखनऊ

संख्या 331–काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 2011–8 काविनी एवं वे०प्र० / 09 दिनांक 21 अप्रैल, 2011

(1) अपर सचिव (द्वितीय)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

(2) उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय :– उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के पूर्णकालिक निदेशकगणों को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के पूर्णकालिक निदेशकों को उ०प्र० शासन से दिशा–निर्देश प्राप्त होने के प्रतिबन्धाधीन दिनांक 01.01.2006 से अनुमन्य किये गये वेतनमान रू० 67000/– वार्षिक वेतनवृद्धि 03 प्रतिशत की दर से वेतनमान रू० 79000/– सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप सं० 661–काविनी एवं वे०प्र० दिनांक 12 जून, 2009 सपठित कार्यालय ज्ञाप सं० 997–काविनी एवं वे०प्र०– 29/पाकालि/10–17 काविनी एवं वे०प्र०/08 दिनांक 11.08.2010 के अनुक्रम में पूर्णकालिक निदेशकों को दिनांक 01.01.2006 से अनुमन्य किये गये वेतनमान ***रू० 67000/– वार्षिक वेतनवृद्धि 03 प्रतिशत की दर से वेतनमान रू० 79000/–*** सम्बन्धी शासनादेश सं० 685/24–पी–2–11–1(17)/2003 दिनांक 04.04.2011 को संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(विनय किशोर श्रीवास्तव)
उप सचिव

सं0 331 –(1) काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2011 – तददिनांक। 21.4.11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

(क्रमशः...2)

3- समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
5- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

(विनय किशोर श्रीवास्तव)
उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग–2
संख्या: 685/24–पी–2–11–1(17)/2003
लखनऊ: दिनांक: 04 अप्रैल, 2011

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 तथा उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 में नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक के पद पर नियुक्ति संबंधी सेवा शर्ते विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या–30/24–पी–2–2010, दिनांक 20.01.2011 के प्रस्तर–3 के स्थान पर निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

" दिनांक 01.01.2006 से संशोधित वेतनमान रू0 67,000/–वार्षिक वेतनवद्धि 3 प्रतिशत की दर से वेतनमान रू0 79,000/– स्वीकृत किया जाता है।"

2– उक्त कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित सेवाशर्तें यथावत् रहेंगी।

नवनीत सहगल
सचिव।

संख्या व दिनांक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य [illegible] निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
3– विद्युत सुरक्षा, निदेशालय, लखनऊ।
4– ऊर्जा निगमों के समस्त पूर्णकालिक निदेशकगण।
5– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–10/वित्त ([illegible]) अनुभाग–1/2/3 वित्त अनुभाग– 1/2
6– ऊर्जा विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(राजकमल गुप्ता)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग–2
संख्याः 90 /24–पी–2–2011
लखनऊः दिनांकः 20 जनवरी, 2011

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 तथा उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 में नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक के पद पर नियुक्ति संबंधी सेवा शर्ते निम्न प्रतिबन्धों के अधीन निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– नियुक्ति, निगमों में संविदा के आधार पर मानी जायेगी।

2– नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु या शासन के अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, तक के लिये होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा तीन माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले तीन माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।

3– <u>वेतन एवं अन्य भत्ते</u>
पूर्व में ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन उपरोक्त निगमों में पूर्णकालिक निदेशक को वेतनमान रू0 22,400–525–24,500 के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते अनुमन्य थे। अब छठें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार उक्त पद का वेतनमान रू0 37,400–67,000 तथा रू0 12,000/– ग्रेड पे एवं संगत भत्ते देय होंगे। सेवानिवृत्ति की स्थिति में उक्त पदों पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली पेंशन की कुल धनराशि उन्हें प्राप्त होने वाले वेतन में शासनादेश संख्या– सा0–3–1443/ दस –930/83, दिनांक 15.12.1983 में निहित शर्तों के अनुसार समायोजित की जायेंगी अर्थात् पेंशन की धनराशि कुल प्राप्त होने वाले वेतन में ही आंकलित की जायेगी।

4– ऊर्जा निगमों के निदेशको को लखनऊ में आवास आवंटित किया जायेगा जिसके लिये संगत नियमानुसार किराये का भुगतान करना होगा।

5– नियुक्ति की अवधि में निदेशकगण निगमों के कार्यों के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा हेतु प्राधिकृत होगें।

6– निदेशकों को निगमों में अपने कार्यकाल की अवधि में अपने एवं परिवार के सदस्यों के लिये निगम के अन्तर्गत प्रचलित नियमों के तहत चिकित्सा सुविधा अनुमन्य होगी।

7– वे उक्त पद के कार्यकाल की अवधि में रू0–500/– प्रतिमाह की दर से भुगतान करके 200 किमी0 प्रतिमाह की दूरी तक अपने निजी प्रयोग हेतु निगमीय परिवहन सुविधा का उपभोग करने के लिये प्राधिकृत होगें किन्तु उक्त सुविधा उन्हें इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि इस सन्दर्भ में अलग से कोई वाहन भत्ता अनुमन्य/देय न होगा।

8– ऊर्जा निगमों के नियमों के अनुसार उस व्यय की प्रतिपूर्ति होगी जो अपने स्वयं की तथा अपने परिवार की व्यक्तिगत सामान सहित निवास से लखनऊ तक की यात्रा परिवार पर व्यय करना पड़ा हो।

9— यदि सेवा निवृत्ति के पूर्व किसी निदेशक की संविदा समाप्त हो जाती है तो उन्हे वे ही वेतनमान (पे—बैण्ड) एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य होगी, जो संविदा पर निदेशक पद पर नियुक्ति के पूर्व उनके द्वारा धारित पद के लिये अनुमन्य हो तथा जिस पद पर वे प्रत्यावर्तित हुये हो।

10— संविदा की समाप्ति पर अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की भारत में उस स्थान तक जहाँ वे बसना चाहें, यात्रा एवं घरेलू। व्यक्तिगत सामान के परिवहन हेतु निगमीय नियमों के अधीन व्यय का भुगतान किया जायेगा बशर्ते इस सुविधा का उपयोग उनके द्वारा पूर्व में सेवानिवृत्ति के समय न कर लिया गया हो।

11— निगम द्वारा अंगीकृत निगमीय कर्मचारियों की आचरण नियमावली प्रबन्ध निदेशक/निदेशकों पर भी लागू होगी।

12— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—225/10, दिनांक 13 जनवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

नवनीत सहगल
सचिव।

<u>संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
2— सचिव, भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली।
3— सचिव/अध्यक्ष केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली।
4— मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5— निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री जी को प्रमुख सचिव के सूचनार्थ।
6— अध्यक्ष—सह—प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० राज्य विद्युत निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
7— विद्युत सुरक्षा, निदेशालय, लखनऊ।
8— ऊर्जा निगमों के समस्त पूर्णकालिक निदेशकगण।
9— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—10/वित्त (सामान्य) अनुभाग—1/2/3 वित्त अनुभाग— 1/2
10— ऊर्जा विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(राजकमल गुप्ता)
विशेष सचिव।